न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या–02, गाजियाबाद।

मूल वाद संख्या–361/2014

मै० गरिमा बिल्डर्स इण्डिया लि० बनाम जी० डी० ए०

(कम्प्यूटर रजि० नम्बर–0000146/2019)

दि० 12–12–2025

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी।

पुकार पर उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय मे उपस्थित हैं।

वादी की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र 172 ग 2 के निस्तारण पर बल दिया गया।

वादी की ओर से प्रार्थना पत्र 172 ग 2 आदेश–13 नियम–1 सपठित धारा 151 सी० पी० सी० इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वादी के द्वारा उपरोक्त वाद वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा हेतु योजित किया गया है। वाद योजित करते समय वादी के द्वारा अपने पक्ष मे निष्पादित विक्रय पत्र के इन्द्राज होने की खतौनी दाखिल की गयी थी तथा अब उक्त विक्रय पत्र की मूल/असल व मूल खसरा को पत्रावली पर दाखिल किया जा रहा है तथा प्रतिवादी जी० डी० ए० द्वारा वादी की भूमि पर अवैध करना करने के प्रयास करने पर वादी के द्वारा जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी जिसमे आरोप पत्र दाखिल होकर मुकदमा आरम्भ हो चका है, के कागजात व दस्तावेज जो कि पूर्व मे वादी के पास उपलब्ध नही थे, की प्रमाणित प्रति दाखिल कर रहा है। उक्त वाद मे वाद बिन्दु विरचित हो चुके है और पत्रावली साक्ष्य हेतु नियत है, जिस कारण उक्त दस्तावेज दाखिल करने हेतु मान्य न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता है। यदि मान्य न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेजो को पत्रावली पर दाखिल करने की अनुमति प्रदान की जाती है तो मान्य न्यायालय को वाद के स्वच्छ निस्तारण मे आसानी होगी। अतः प्रार्थना पत्र के साथ दाखिल फैहरिस्त से दाखिल दस्तावेजी साक्ष्य को पत्रावली पर दाखिल करने की अनुमति दिये जाने की याचना की गयी है। प्रार्थना पत्र के साथ महेन्द्र कुमार राजपूत का शपथ पत्र कागज संख्या 173 ग 2 तथा सूची कागजात कागज संख्या 174 ग 2 दाखिल की गयी है।

प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादी जी० डी० ए० की ओर से यह अंकित किय गया है कि प्रा० पत्र हर्जे पर स्वीकार किये जाने पर उन्हे कोई आपत्ति नही है।

उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वादी की ओर से प्रार्थना पत्र 172 ग 2 के माध्यम से मात्र यह याचना की गयी है कि उसकी तरफ से प्रार्थना पत्र के साथ जो कागजात की सूची 174 ग 2 दाखिल की गयी है, उसमे वर्णित कागजात को पत्रावली पर दाखिल करने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादी को हर्जे पर स्वीकार किये जाने कोई आपत्ति नही है। वादी मात्र कागजात दाखिल करने की अनुमति चाहता है, इस लिये हर्जा लगाया जाना न्यायोचित नही है। अतः न्याय हित मे वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 172 ग 2 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 172 ग 2 स्वीकार जाता है। वादी की ओर से प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न सूची 174 ग 2 मे वर्णित कागजात को पत्रावली पर दाखिल किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा सूची 174 ग 2 मे वर्णित कागजात पत्रावली पर लिये जाए।

पत्रावली वादी की साक्ष्य हेतु दिनांक 17–12–2025 को पेश हो।

(जुनैद मुजफ्फर)
अपर जिला जज,
कोर्ट सं०–02, गाजियाबाद।